न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा
बइजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी(आर.ए.एस.)

मि0 नं0 412/2017

राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कनवास तहसील कनवास जिला कोटा। –प्रार्थी–

–बनाम–

1. सत्यनारायण पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा,
2. रामप्रसाद पुत्र माधोलाल जाति काछी निवासी ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा,
3. मूलचन्द पुत्र धूलीलाल जाति खटीक निवासी ग्राम आवां तहसील कनवास जिला कोटा।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र वास्ते दुरूस्त करने सेटलमेंट त्रुटि
कार्यवाही अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री नरेश कुमार गौत्तम एडवोकेट – वकील सरकार

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 13-6-19

प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार कनवास की ओर से इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का दिनॉक 08.11.2017 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी क्रं. 1, 2 के पिता माधोलाल पुत्र मथुरालाल जाति काछी निवासी ग्राम आवां का कालान्तर में ग्राम किशोरपुरा तहसील कनवास की सरकारी भूमि साबिक खसरा नंबर 78 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नंबर 79 रकबा 6 बीघा कुल 11 बीघा 2 बिस्वा एकचक भूमि कब्जेकाश्त में होने व भूमिहीन होने से राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। चूंकि साबिक खसरा नंबर 78 व 79 एक दूसरे से लगे हुये हैं जिसके चलते आवंटी माधोलाल का खसरा नंबर 78 की 5 बीघा 2 बिस्वा एवं उसके दक्षिण में संलग्न खसरा नंबर 79 में से 6 बीघा उत्तरी कुल 11 बीघा 2 बिस्वा एकचक कब्जेकाश्त में रहा है। सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक खसरा नंबर 78 के नये ख.नं. 126 कायम कर नवीन नक्शा सन् 1998–99 में नवीन खसरा नंबर को सही एवं वास्तविक स्थान पर अंकित कर दिया तथा साबिक खसरा नंबर 79 रकबा 6 बीघा के नये खसरा नंबर 128 व 132 कायम किये गये जिनमें से खसरा नंबर 128 रकबा 0.68 हैक्टर को तो नवीन नक्शा में सही स्थान पर अंकित कर दिया किन्तु नये खसरा नंबर 132 रकबा 0.29 हैक्टर को मौके के वास्तविक स्थान से भिन्न स्थान पर अंकित कर दिया। यद्यपि सेटलमेंट विभाग द्वारा नक्शे में उक्त त्रुटि अंकित कर दी किन्तु आवंटी माधोलाल व उसके बाद अप्रार्थी क्रं. 1, 2 मौके पर हाल खसरा नंबर 127 की आराजी को काश्त करते चले आ रहे हैं जबकि वर्तमान खसरा नंबर 132 की भूमि पर अप्रार्थी क्रं. 3 का कब्जाकाश्त है। सेटलमेंट संवत् 2058 से पूर्व की नकल जमाबन्दी संवत् 2050–53 खतोनी संख्या 193 में खसरा नंबर 69 रकबा 6 बीघा एकचक रूप में आवंटी माधोलाल के खाते दर्ज है किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नंबर 79 के नवीन खसरा नंबर 128 व 132 कायम करके त्रुटिपूर्ण ढंग से अलग–अलग दो स्थानों पर अंकित कर दिये। सेटलमेंट विभाग को राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त त्रुटिपूर्ण अंकन का इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। उक्त अवैध इन्द्राज को न्यायहित में पुनः दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम किशोरपुरा तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त कार्यवाही का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः माल ग्राम किशोरपुरा तहसील कनवास जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 127 रकबा 0.42 हैक्टर में से 0.29 हैक्टर उत्तरी आराजी को अप्रार्थी क्रं. 1, 2 के खाते दर्ज किया जावे तथा खसरा नंबर 132 रकबा 0.29 हैक्टर आराजी को राज्य सरकार के नाम खाता सं. 1 में दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

..........2

प्रार्थी की ओर से उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये समन करवाई गई। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1, 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अप्रार्थी कं. 3 मूलचन्द की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। चूंकि प्रकरण सेटलमेंट त्रुटि की दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत हुआ है, इस कारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसके उपरान्त पटवारी हल्का खजूरना की मौका रिपोर्ट दिनॉक 26.07.2018 एवं तहसील का पत्र कमांक/राजस्व/2018/251 दिनॉक 26.07.2018 प्रस्तुत हुआ। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट दिनॉक 26.07.2018 में अप्रार्थी कं. 1, 2 द्वारा मौके पर खसरा नंबर 127 रकबा 0.42 हैक्टर आराजी को काश्त करना जाहिर किया है।

वकील सरकार की बहस सुनी। वकील सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में न्यायालय हाजा का ध्याान मुख्य रूप से इस ओर आकर्षित किया कि सेटलमेंट संवत् 2058 से पूर्व की जमाबंदी संवत् 2050–53 की खतोनी संख्या 193 में अप्रार्थी कं. 1, 2 के पिता माधोलाल पुत्र मथुरालाल के नाम खसरा नंबर 78 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नंबर 79 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 की कुल 11 बीघा 2 बिस्वा एकचक भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। सेटलमेंट संवत् 2058 के पूर्व के नक्शा लट्ठा संवत् 2010–11 का अवलोकन करने पर जाहिर होता है कि सेटलमेंट पूर्व के नक्शा लट्ठा दोनों खसरा नंबर अर्थात् खसरा नंबर 78 व 79 एक दूसरे से लगे होकर एकचक रूप में स्थित रहे हैं। सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट संवत् 2058 में पुराने खसरा नंबर 78 के नये खसरा नंबर 126 कायम कर नवीन नक्शा सन् 1998–99 में सही व वास्तविक स्थान पर अंकित किया है तथा पुराने खसरा नंबर 79 के नये खसरा नंबर 128 व 132 कायम किये गये जिनमें से नये खसरा नंबर 128 को तो कब्जे के वास्तविक स्थान पर अंकित कर दिया किन्तु नये खसरा नंबर 132 रकबा 0.29 हैक्टर को मौके के वास्तविक स्थान से भिन्न स्थान पर अंकित कर दिया जबकि अप्रार्थी कं. 1, 2 का कब्जाकाश्त मौके पर आज भी पूर्ववत चला आ रहा है, अर्थात् अप्रार्थी कं. 1, 2 आज भी मौके पर अपनी अन्य आराजी से संलग्न खसरा नंबर 127 रकबा 0.29 हैक्टर काश्त कर रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेज, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का खजूरना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं वकील सरकार की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रकरण में सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में त्रुटि करना प्रमाणित होना समझती हूँ तथा उक्त राजस्व त्रुटि को पुनः दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम किशोरपुरा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 127 रकबा 0.42 हैक्टर में से 0.29 हैक्टर उत्तरी आराजी को राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी कं. 1, 2 सत्यनारायण, रामप्रसाद पुत्रान माधोलाल जाति काछी निवासी ग्राम आवां तहसील कनवास के नाम खाते दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थी कं. 1, 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित खसरा नंबर 132 रकबा 0.29 हैक्टर आराजी को राज्य सरकार के नाम से खाता संख्या 1 में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार कनवास को तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 13/6/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती पुष्पा हरवानी)
उपखण्ड अधिकारी कनवास